दिल्ली का उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 11.11.2013

मू.वि.या. 673/2013

आई.एन.एक्स. न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड .....याचिककर्ता

बनाम

पायर वन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

इस मामले में प्रस्तुत होने वाले अधिवक्तागण:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रॉबिन डेविड, श्री एफ़. मैथ्यू और श्री चित्रांशुल सिन्हा, अधिवक्तागण

उत्तरदाता के लिए: श्री लोकेश भोला और सुश्री पंखुड़ी जैन, अधिवक्तागण

कोरम :-
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर,

न्या. राजीव शकधर.

अं.आ. सं. 10631/2013 (पुनः दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा)

1. यह पुनः दाखिल करने में विलंब को क्षमा करने के लिए दायर किया गया आवेदन है। आवेदन में प्रकथन किया गया है कि मुख्य याचिका को पुनः दाखिल करने में 105 दिनों का विलंब हुआ है। हालाँकि, रजिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 157 दिनों का विलंब हुआ है।

2. याचिका में उल्लिखित प्रासंगिक तिथियाँ तथा आवेदक/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताई गई तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

2.1 दिनांक 01.10.2012 का अधिनिर्णय आवेदक/याचिकाकर्ता को उसी तिथि पर प्राप्त हुआ था। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 1996 अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा याचिका 02.01.2013 को दायर की गई थी। 01.01.2013 को छुट्टी होने के कारण, याचिका तुरंत बाद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 02.01.2013 को दायर की गई थी। चूँकि रजिस्ट्री ने आपत्तियाँ उठाई थीं, इसलिए याचिका 14.01.2013 को फिर से दायर की गई थी। हालाँकि, रजिस्ट्री का मानना था कि आपत्तियाँ दूर नहीं की गई थीं और इसलिए याचिका 14.01.2013 को वापस कर दी गई थी। आवेदक/याचिकाकर्ता ने एक बार फिर 28.01.2013 को याचिका फिर से दायर की।

2.2 रजिस्ट्री ने 29.01.2013 को आवेदक/याचिकाकर्ता को बताया कि उसे आपत्तियों को “उचित रूप से” दूर करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक/याचिकाकर्ता ने 21.05.2013 को याचिका पुनः दायर की है।

2.3 रजिस्ट्री के अनुसार, 14.01.2013 को उठाई गई आपत्तियाँ अभिलेख में बनी रहीं, और इसलिए, एक बार फिर, याचिका 31.05.2013 को वापस कर दी गई।

2.4 ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः आवेदक/याचिकाकर्ता ने 04.07.2013 को सभी आपत्तियों को हटा दिया। याचिका इस न्यायालय के समक्ष पहली बार 10.07.2013 को सुनवाई के लिए आई।

2.5 चूँकि उस तिथि पर प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ था तथा उसने उपर्युक्त आवेदन पर उत्तर दाखिल करने के लिए समय माँगा था, इसलिए याचिका को आज अर्थात् 11.11.2013 को पुनः सूचीबद्ध किया गया।

3. गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी ने उत्तर दाखिल कर दिया।

3.1 मोटे तौर पर, गैर-आवेदक/ प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ निम्नानुसार हैं :-

(i). 02.01.2013 से 31.05.2013 के बीच विलंब 149 दिन का है, न कि 105 दिन का;

(ii). पुनः दायर की गई याचिका को पूरी तरह से बदल दिया गया है। रजिस्ट्री में दायर की गई पिछली याचिका की एक प्रति (जिसकी एक प्रति स्पष्ट रूप से गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी को दी गई थी) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके और वर्तमान में अभिलेख में रखी गई प्रति के साथ उसकी तुलना करके इसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।

(iii). विलंब को क्षमा करने के कारण असमर्थनीय हैं। गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी ने आवेदन में किए गए उन प्रकथनों का विरोध किया है, जिनमें दो आधारों पर 02.01.2013 से 31.05.2013 के बीच हुए विलंब को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पहला, कि अधिवक्ता बदल गए थे। इस उद्देश्य के लिए आवेदक/याचिकाकर्ता के तत्कालीन अधिवक्ता द्वारा जारी दिनांक 13.03.2013 को जारी किए गए ई-मेल पर भरोसा किया गया है। दूसरा, याचिकाकर्ता के विधिक प्रमुख अर्थात् श्री दिनेश बंथ बीमार हो गए थे। यह प्रकथन किया गया है कि श्री दिनेश बंथ के गुर्दे में पथरी थी, जिसके लिए उन्हें मार्च, 2013 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 02.04.2013 को उनका ऑपरेशन किया गया था।

(iii)(क). जैसा कि ऊपर बताया गया है, गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी अभिलेख पर रखे गए दस्तावेज़ों का उल्लेख करके इस स्थिति का विरोध करता है, जो गैर-आवेदक/प्रतिवादी के अनुसार, केवल यह दर्शाते हैं कि श्री दिनेश बंथ ने स्वयं को केवल दिन में देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इसलिए, यह गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी का प्रतिविरोध है कि यह सुझाव देने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि उक्त सज्जन का ऑपरेशन किया गया था, जैसा कि आवेदन में प्रकथन दिया गया है।

(iv) विलंब दुर्भावनापूर्ण है और विलंब को क्षमा करने के लिए कोई पर्याप्त कारण दर्शाया नहीं गया है।

4. ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवेदक/याचिकाकर्ता ने एक प्रत्युत्तर दायर किया है; जिसके साथ, श्री दिनेश बंथ की बीमारी के संबंध में भरोसा किए गए अधिकांश दस्तावेज़ों को दाखिल किया गया है। आवेदक/याचिकाकर्ता ने समय-समय पर रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों को भी अभिलेख पर रखा है।

5. दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण ने मेरे समक्ष दायर अपने-अपने अभिवचनों में उठाए गए प्रकथनों के अनुरूप तर्क दिए हैं।

5.1 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डेविड ने प्रस्तुत किया है कि विलंब न तो दुर्भावनापूर्ण है और न ही जानबूझकर किया गया है। उनका प्रतिविरोध है कि विलंब का एक बड़ा हिस्सा अधिवक्ता के बदलाव और याचिकाकर्ता के विधिक प्रमुख की बीमारी के कारण हुआ। श्री डेविड ने प्रतिवाद दिया कि पुनः दाखिल करने में विलंब का परीक्षण करते समय न्यायालय को उस तरह की सख्त सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है, जिसे उसे प्रारंभिक दाखिल करने में विलंब का परीक्षण करते समय अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। अपने तर्कों के समर्थन में, श्री डेविड ने निम्नलिखित तीन निर्णयों पर भरोसा किया है :- *भारतीय सांख्यिकी संस्थान*

बनाम मैसर्स एसोसिएटेड बिल्डर्स और अन्य, (1978) 1 एससीसी 483; एस.आर. कुलकर्णी बनाम बिरला वीएक्सएल लिमिटेड, 1998 वी एडी (दिल्ली) 634; और मैसर्स डीएसए इंजीनियर्स (बॉम्बे) और अन्य बनाम मैसर्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको), 2003 1 एडी (दिल्ली) 411.

6. दूसरी ओर, गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए श्री भोला ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को 1996 अधिनियम की धारा 34(3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए पुनः दाखिल करने में हुए विलंब का गहन परीक्षण करना होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनः दाखिल करने में हुए विलंब का परीक्षण नए अधिनियम अर्थात् 1996 अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए, न कि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (संक्षेप में 1940 अधिनियम) के उपबंधों को ध्यान में रखकर।

6.1. गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभिलेख पर प्रस्तुत याचिका का ढाँचा पहले दायर किए गए ढाँचे से भिन्न है, तथापि अभिलेख पर प्रस्तुत शपथपत्र वही है, अर्थात वही जो पहले वाली याचिका के साथ दायर किया गया था।

6.2 उल्लेखनीय है कि शपथपत्र दिनांक 02.01.2013 का है तथा इसे याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अमन ठुकराल ने शपथ लेकर प्रस्तुत किया है।

6.3 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी स्तर पर श्री दिनेश बंथ ने आवेदक/याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, और श्री अमन ठुकराल ने मध्यस्थ के समक्ष आवेदक/याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता का प्रतिविरोध है कि विलंब को स्पष्ट करने के लिए दिया गया कारण; जो यह है कि विधिक प्रमुख, श्री दिनेश बंथ का ऑपरेशन किया जाना था, और इस प्रकार, फिर से दाखिल करने में विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए; कम से कम अस्पष्ट है और स्वीकार करने योग्य नहीं है।

6.4 अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, गैर-आवेदक/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने *कार्यकारी अभियंता (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण) बनाम श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी, 2010 (10) एडी दिल्ली 180; और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य बनाम हाइथ्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2012 (3) माध्य. एलआर 349 (दिल्ली)* के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है।

6.5 विद्वान अधिवक्ता ने *भारत संघ बनाम मैसर्स रविंदर कपूर* के मामले में मू.वि.या. 477/2013 में दायर अं.आ. सं. 7795/2013 और 7796/2013 में मेरे द्वारा दिए गए दिनांक 23.09.2013 के निर्णय पर भी भरोसा किया है। उक्त निर्णय में, मैंने उपरोक्त मामलों में दो अलग-अलग खंड पीठों द्वारा लिए

गए दृष्टिकोण अर्थात् *श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य* का पालन किया है।

6.6 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि यदि प्रारंभिक दाखिल करना अधिनियम की धारा 34(3) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर है, तो न्यायालय के पास पुनः दाखिल करने में विलंब को क्षमा करने का अधिकार है। हालाँकि, परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। *श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य* में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णयों को मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ कि यदि पर्याप्त कारण बताए जाएँ तो न्यायालय विलंब को क्षमा करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं है [और इसलिए, किसी दिए गए मामले में वह विलंब को क्षमा कर सकता है]। देरी को समझाने के लिए दिए गए कारणों में आवेदक की सद्भावना झलकनी चाहिए। मैं केवल यह बताऊँगा कि यदि इस दृष्टिकोण के संबंध में कोई संदेह था, तो उसे इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने हाल ही में दिनांक 07.11.2013 को आ.प्र.अ. (मू.प.) 485-86/2011 में पारित निर्णय में समाप्त कर दिया है, जिसका शीर्षक है: **दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम मैसर्स दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी।**

6.7 इस प्रकार, इस मामले में परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या विलंब के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं।

7. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि मामले में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं :-

(i). याचिकाकर्ता को दिनांक 01.10.2012 के अधिनिर्णय की हस्ताक्षरित प्रति उसी तिथि पर प्राप्त हुई।

(ii). यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि श्री दिनेश बंथ का ऑपरेशन 02.04.2013 पर किया गया था। कोई विमोचन सारांश दायर नहीं किया गया है; जो आमतौर पर अस्पताल द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद जारी किया जाता है।

(iii). दिनांक 13.03.2013 को जारी ई-मेल (जिसे आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख में रखा गया) के परिशीलन से पता चलता है कि उस समय उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आवेदक/याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा अपने पेशेवर शुल्क के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थता के संबंध में मुद्दे थे।

(iv). अधिकांश आपत्तियाँ, जो 14.01.2013 को उठाई गई थीं, जब आवेदक/याचिकाकर्ता को याचिका वापस कर दी गई थी, 04.07.2013 तक भी अभिलेख पर बनी रहीं।

(v). अभिलेख में रखी गई याचिका के साथ श्री अमन ठुकराल का शपथपत्र भी संलग्न है, जो याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, न कि श्री दिनेश बंथ का।

7.1 आवेदक/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुष्टि की है कि श्री दिनेश बंथ आवेदक/याचिकाकर्ता के यहाँ कार्यरत हैं।

7.2 आवेदक/याचिकाकर्ता के अनुसार, इसमें 105 दिन का विलंब हुआ है। यह स्पष्ट रूप से गलत गणना है। यदि केवल 02.01.2013 से 31.05.2013 के बीच की अवधि को ही ध्यान में रखा जाए, तो भी यह 149 दिन है।

7.3 जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विलंब की वजह ठीक से बताई गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि विलंब की क्षमा माँगने के लिए दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि याचिकाकर्ता के वकील को बदलना पड़ा। दूसरा कारण यह है कि श्री दिनेश बंथ बीमार थे। दोनों ही घटनाएँ मार्च, 2013 के महीने में हुईं। पहली घटना मार्च, 2013 के मध्य में हुई, जबकि दूसरी घटना मार्च, 2013 के अंत और अप्रैल, 2013 की शुरुआत में हुई। मार्च से पहले हुए विलंब तथा अप्रैल और मई, 2013 के महीनों में हुए विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपत्तियों को अंततः 04.07.2013 को हटा दिया गया।

8. मेरे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं, और इसलिए, उपर्युक्त आवेदन को अस्वीकार करना होगा। अधिनिर्णय पर आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए तय की गई समय-सीमा सख्त है, जैसा कि इस न्यायालय की खंड पीठों के तीन अलग-अलग निर्णयों में निम्नलिखित मामलों में दर्शाया

गया है: *श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी; दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य; और मैसर्स दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी।* यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका और एक पुनर्विलोकन याचिका भी प्रस्तुत की गई थी, जिसे क्रमशः 24.01.2013 और 21.03.2013 को खारिज कर दिया गया था। इसी तरह, श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में प्रस्तुत की गई एक विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

8.1 चूँकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे 1940 के अधिनियम से संबंधित हैं, इसलिए मेरे विचार में, वे वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। 1996 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था, 1940 के अधिनियम से स्पष्ट रूप से भिन्न है। किसी भी मामले में, विलंब के लिए क्षमा एक ऐसा पहलू है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भले ही याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में बताए गए परीक्षण को वर्तमान तथ्यों पर लागू किया जाए, मेरे विचार में, आवेदक/याचिकाकर्ता ने समय पर आपत्तियों को दूर न करने में लापरवाही बरती है।

8.2 जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसे बहुत से समय हैं जिनके संबंध में आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

9. मैं इस बात से भी बहुत चिंतित हूँ कि आवेदक/याचिकाकर्ता ने आपत्तियों को दूर करते समय याचिका के पूरे ढाँचे को बदल दिया। जब याचिकाएँ वापस की जाती हैं, तो संबंधित अधिवक्तागण याचिकाओं के ढाँचे को बदलने के हकदार नहीं होते। याचिकाएँ केवल रजिस्ट्री द्वारा बताई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए वापस की जाती हैं। यदि संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, तो सही तरीका यह होगा कि याचिका को न्यायालय में सूचीबद्ध किए जाने के बाद संबंधित न्यायालय में जाया जाए, ताकि आवश्यक संशोधनों को शामिल करने के लिए विधि के अनुसार कदम उठाए जा सकें।

10. पूर्ववर्ती परिस्थितियों में, आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

मू.वि.या. 673/2013 और अं.आ. सं. 10629/2013 (रोक)

11. अं.आ. सं. 10631/2013 को खारिज किए जाने को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक परिणाम सामने आएँगे, अर्थात् याचिका और शेष आवेदन को भी खारिज करना होगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

न्या. राजीव शकधर,

11 नवंबर, 2013
वाईजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*